



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 540 ]  
No. 540 ]नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 1996/आश्विन 5, 1918  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 1996/ASVINA 5, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

( सड़क पक्ष )

( डी ओ III डेस्क )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1996

का. आ. 659(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस आर ओ 1181, दिनांक 4-4-1957 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—  
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,  
(क) क्रम सं. 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य सरकार का नाम
1	2	3
“1.	राष्ट्रीय राजमार्ग-4, 5 (3.4 कि. मी. से 75 कि. मी. अर्थात् विजय वाड़ा से इलुरु को छोड़कर), 7, 9 (217.0 से 265.0 कि. मी. अर्थात् नन्दीगाम से विजयवाड़ा को छोड़कर) और 43 का वह भाग जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।	आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार”

(ख) क्रम सं. 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य सरकार का नाम
1	2	3
“11.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1, 1-क और 22 का वह भाग, जो पंजाब राज्य में स्थित है।	पंजाब राज्य सरकार

1	2	3
11 क	रा. रा. संख्या-1, 2 और 8 (36.63 कि.मी. से 107.18 कि. मी. गुड़गांव से बाबल, को छोड़कर) सं. 10 और 22 का वह भाग जो हरियाणा राज्य में स्थित है ।	हरियाणा राज्य सरकार
11 ख	रा. रा. संख्या 1-क, और 22 का वह भाग जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है ।	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार
11 ग	रा. रा. संख्या 1, 2, 8 और 10 का वह भाग, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है ।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार''

(ग) क्रम सं. 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य सरकार का नाम
1	2	3
12	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 (107.18 कि.मी. से 162.50 कि. मी. अर्थात् बाबल से कोटपुतली को छोड़कर) का वह भाग, जो राजस्थान राज्य में स्थित है ।	राजस्थान राज्य सरकार''

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-11065/8/94-डी ओ III]  
ए. डी. नारायण, महानिदेशक (सड़क विकास)

नोट :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में एस आर ओ 1181 के तहत दिनांक 4-4-1957 को प्रकाशित हुई थी ।

**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**  
(Roads Wing)  
(DO. III Desk)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 1996

**S.O. 659(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Transport number SRO 1181, dated the 4th April, 1957, namely :—

In the said notification, in the schedule,—

(a) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely :—

Sl. No.	Description of the National Highway	Name of the State Government
1	2	3
1	So much of National Highways No. 4, No. 5 excluding from 3.4 Km. to 75.0 Km. (Vijayawada to Eluru), No. 7, No. 9 excluding from 217.0 Km. to 265.0 Km. (Nandigama to Vijayawada) and No. 43 as are situated within the State of Andhra Pradesh.	State Government of Andhra Pradesh.";

(b) for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely :—

Sl. No.	Description of the National Highway	Name of the State Government
1	2	3
"11.	So much of National Highways No. 1, No. 1-A and No. 22 as are situated within the State of Punjab.	State Government of Punjab
11 a.	So much of National Highways No. 1, No. 2, No. 8 excluding from 36.63 Km. to 107.18 Km. (Gurgaon to Bawal), No. 10 and No. 22 as are situated within the State of Haryana.	State Government of Haryana
11 b.	So much of National Highways No. 1-A and No. 22 as are situated within the State of Himachal Pradesh.	State Government of Himachal Pradesh
11 c.	So much of National Highways No. 1, No. 2, No. 8 and No. 10 as are situated within the National Capital Territory of Delhi.	Government of National Capital Territory of Delhi."

(c) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely :—

Sl. No.	Description of the National Highway	Name of the State Government
1	2	3
"12.	So much of National Highway No. 8 excluding from 107.18 Km. to 162.50 Km. (Bawal to Kotputli) as are situated within the state of Rajasthan.	State Government of Rajasthan".

[F. No. RW/NH-11065/8/94-DO III]

A. D. NARAIN, Director General (Road Development)

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India vide number SRO 1181, dated 4-4-1957.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1996

का. आ. 660(अ).—केन्द्र सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यहाँ संलग्न तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के कॉलम (2) में दिए गए तदनु रूप खंडों की कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दूरी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है ।

### तालिका

रा. रा. सं.	खंड	दूरी कि. मी. में
1	2	3
2.	बरवा अड्डा से बरकार तक (बिहार राज्य में)	398.75 कि. मी. से 441.44 कि. मी. तक
2.	रानीगंज से पानागढ़ तक (पश्चिम बंगाल राज्य में)	474.0 कि. मी. से 516.0 कि. मी. तक

1	2	3
5.	विजयवाड़ा से एलुरु तक (आन्ध्र प्रदेश राज्य में)	3.4 कि. मी. से 75.0 कि. मी. तक
8.	हरियाणा राज्य में गुरुगांव से राजस्थान राज्य में कोटपुतली तक	36.63 कि. मी. से 162.5 कि. मी. तक
9.	चंदीगाम से विजयवाड़ा तक (आंध्र प्रदेश राज्य में)	217.0 कि. मी. से 265.0 कि. मी. तक

[फा. सं. आर डब्ल्यू/रा. रा. 11065/8/94-डी ओ-III]

ए. डी. नारायण, महानिदेशक (सड़क विकास)

**NOTIFICATION**  
New Delhi, the 27th September, 1996

**S.O. 660(E).**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches, as specified in column (3) of the Table annexed hereto (hereinafter referred to as the said Table) of the corresponding sections as mentioned against them in column (2) of the said Table of the National Highways as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

**TABLE**

National Highways No.	Section	Stretch in Kilometre
1	2	3
2	Barwa Adda to Barkar (in the Bihar State)	From Km. 398.75 to 441.44 Km.
2	Raniganj to Panagraph (in the west Bengal State)	From 474.0 Km. to 516.0 Km.
5	Vijaywada to Eluru (in the Andhra Pradesh State)	From 3.4 Km. to 75.0 Km.
8	Gurgaon (in the Haryana State) to Kotputli (in the Rajasthan State)	From 36.63 Km. to 162.5 Km.
9	Nandigama to Vijayawada (in in the Andhra Pradesh State.	From 217.0 Km. to 265.0 Km.

[F. No. RW/NH-11065/8/94-DO. III]

A. D. NARAIN, Director General (Road Development)